NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) – ORIGINAL APPLICATION

पूर्वी क्षेत्र पीठ (Eastern Zone Bench), कोलकाता

मूल वाद / Original Application (O.A.) No. 100 / 20 2026

वादी / Applicant

नाम: **मोहम्मद अनसार खाँ (आरटीआई कार्यकर्ता सह मानवाधिकार कार्यकर्ता)**
पता:लोहार पट्टी कर्बला रोड,(नजदीक– मोतीबाग) जिला– किशनगंज, बिहार- 855107
मोबाइल: **9430598671, rtiactivistkhan@gmail.com**

प्रतिवादी / Respondents

1. जिला पदाधिकारी, किशनगंज, बिहार
2. कार्यपालक अधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज, बिहार
3. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना
4. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार
5. मुख्य सचिव, बिहार सरकार

विषय / Subject

मोतीबाग (किशनगंज, बिहार) में ठोस अपशिष्ट के अवैध खुले डंपिंग एवं कचरा जलाने से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन के विरुद्ध याचिका।

NGT, EZB, KOLKATA
Receipt No. NGT/EZB/K01/513
Date 09/12/2025

माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष निवेदन (Most Respectfully Showeth):

1. वादी का परिचय:

मैं जिला - किशनगंज,राज्य – बिहार का निवासी हूँ और प्रतिदिन अपने क्षेत्र में फैले प्रदूषण, जहरीले धुएँ और कचरे की दुर्गंध से प्रभावित हो रहा हूँ।

यह याचिका **पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21, संविधान)** के संरक्षण हेतु दायर की जा रही है।

---

2. मामले के तथ्य (Facts of the Case):

- नगर परिषद किशनगंज द्वारा शहर का सारा ठोस अपशिष्ट मोतीबाग के घनी आबादी वाले क्षेत्र के बिल्कुल निकट **खुले में डंप** किया जा रहा है।
- यह स्थान किसी भी स्वीकृत **"Sanitary Landfill Site"** के मानकों के अनुरूप नहीं है।
- कचरे को समय–समय पर **आग लगा दी जाती है**, जिससे प्लास्टिक, रबर, मेडिकल वेस्ट आदि के जलने से **विषैला धुआँ** निकलता है।
- यह धुआँ **Dioxins, Furans, PM 2.5, PM 10** जैसे खतरनाक प्रदूषकों को वायु में बढ़ाता है।
- क्षेत्र के बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में सांस संबंधी बीमारियाँ बढ़ रही हैं।
- नागरिकों द्वारा कई बार शिकायतें की गई, परंतु **कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया।**
- **कचरा जलाना—स्वच्छ वायु अधिनियम, 1981 का सीधा उल्लंघन** है।
- **खुले में डंपिंग—Solid Waste Management Rules, 2016 का स्पष्ट उल्लंघन** है।

---

3. कानूनों का उल्लंघन (Legal Violations):

A. Solid Waste Management Rules, 2016

- Rule 15 – वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन का दायित्व
- Rule 20 – खुले में कचरा जलाना पूर्णत: प्रतिबंधित
- Rule 21 – Sanitary Landfill अनिवार्य

B. Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

कचरा जलाना दंडनीय अपराध

C. Environment Protection Act, 1986

D. संविधान का अनुच्छेद 21

स्वच्छ एवं प्रदूषण-मुक्त वातावरण का अधिकार

E. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:

- *MC Mehta v. Union of India* — स्वच्छ वायु हर नागरिक का मूल अधिकार
- *Almitra Patel Case* — कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी

---

4. प्रशासन की लापरवाही (Failure of Authorities):

- नगर परिषद की ओर से वैज्ञानिक अपशिष्ट निस्तारण अपनाने में विफलता
- DM द्वारा कोई प्रभावी आदेश जारी नहीं किया गया
- Pollution Control Board द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया
- न वैकल्पिक dumping site बनाई गई और न कचरा जलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई

---

5. पर्यावरण व स्वास्थ्य पर प्रभाव (Impact):

- श्वसन रोगों की वृद्धि
- बच्चों में एलर्जी, खांसी, बुख़ार
- बुज़ुर्गों में अस्थमा और हृदय रोग
- AQI लगातार अत्यंत खराब
- कैंसरकारी धुआँ
- भूमिगत जल भी प्रदूषित होने की स्थिति

---

6. प्रार्थित राहत (Reliefs Sought):

माननीय न्यायाधिकरण से निवेदन है कि:

1. मोतीबाग क्षेत्र में खुले में कचरा डंपिंग को तुरंत रोका जाए।
2. कचरा जलाने की प्रक्रिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
3. बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया जाए कि वह—
    - 7 दिनों में निरीक्षण करे
    - वायु प्रदूषण रिपोर्ट दाख़िल करे
    - जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करे
4. नगर परिषद को वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन लागू करने का निर्देश दिया जाए।
5. जिम्मेदार अधिकारियों पर **Environmental Compensation** लगाया जाए।
6. प्रभावित क्षेत्र के लिए **Remediation Plan** तैयार किया जाए।
7. स्वास्थ्य विभाग को **मेडिकल कैंप** लगाने का आदेश दिया जाए।

---

7. अंतरिम राहत (Interim Relief):

मुकदमा लंबित रहने तक—

- कचरा डंपिंग तुरंत रोकी जाए
- कचरा जलाना पूर्णत: बंद कराया जाए
- Pollution Board को 7 दिन में Interim Report देने का आदेश

---

8. संलग्नक (Annexures):

A. कचरे और धुएँ की तस्वीरें

B. वीडियो क्लिप्स

C. प्रशासन को दिए गए आवेदन

D. मीडिया रिपोर्ट

E. क्षेत्र के लोगों के बयान

F. Sandisk पेनड्राइव 04GB (SDCZ50004) G-135

---

9. सत्यापन (Verification):

मैं, मोहम्मद अनसार खाँ, पिता - मोहम्मद अहमद खाँ, यह सत्यापित करता हूँ कि इस याचिका में दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थान: किशनगंज , बिहार

दिनांक : 01-12-2025

हस्ताक्षर: Md. Ansar Khan

---

10. हलफ़नामा (Affidavit)

(एक पृष्ठ का हलफ़नामा (9642/2025) अलग संलग्न किया गया है)

WELFARE STAMP
बिहार BIHAR
पच्चीस रुपये Rs. Twenty Five

Affidavit No. 9642/2025 Dated 29/11/2025

शपथ पत्र (Affidavit)

National Green Tribunal
(Eastern Zone Bench, Kolkata)

प्रकरण क्रमांक :-
दिनांक :-

मैं, मोहम्मद अनसार खाँ, पिता - मोहम्मद अहमद खाँ ,उम्र 30 वर्ष, निवासी लोहार पट्टी कर्बला रोड किशनगंज (नजदीक – मोतीबाग) , थाना व जिला — किशनगंज, राज्य — बिहार, यह शपथपूर्वक और विधिपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ:

1. यह हलफ़नामा माननीय "राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पूर्वी ज़ोन पीठ, कोलकाता) **National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata** के समक्ष विधिवत प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत याचिका प्रस्तुति में वर्णित सभी तथ्य, विवरण, आरोप और अभिकथन मेरे व्यक्तिगत ज्ञान, अनुभव एवं विश्वास के अनुसार सत्य, सही, पूर्ण एवं निष्पक्ष हैं।
3. मैंने इस मामले से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं छुपाया है, तथा मैंने किसी भी प्रकार की असत्य, भ्रामक या अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।
4. यह याचिका/आवेदन मैंने सार्वजनिक हित, नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा, तथा मोतीबाग, किशनगंज क्षेत्र में हो रही अवैध ठोस अपशिष्ट डंपिंग, कचरा जलाने, वायु प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षति तथा उससे होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के खिलाफ वास्तविक एवं प्रमाणित शिकायत के आधार पर प्रस्तुत किया है।
5. इस विषय पर मेरे द्वारा किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अन्य विधिक मंच पर कोई अन्य याचिका/वाद तत्काल लंबित नहीं है।
6. याचिका/प्रस्तुति के साथ संलग्न दस्तावेज़, फोटो, वीडियो, पत्राचार, मीडिया रिपोर्ट, बयान, कागजात एवं अन्य सभी प्रमाण वास्तविक, सत्य, मौलिक एवं प्रमाणिक हैं।

सत्यापन

मैं , उपरोक्त हलफ़नामा दाता, यह सत्यापित करता हूँ कि इस हलफ़नामे में दिए गए सभी कथन मेरे ज्ञान, विश्वास और उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य, सही एवं पूर्ण हैं, तथा कोई भी कथन असत्य या भ्रामक नहीं है। यह सत्यापन मैं न्यायिक उद्देश्य एवं विधिक उत्तरदायित्व के साथ कर रहा हूँ।

स्थान – किशनगंज
दिनांक - 29/11/2025

Md. Ansar Khan
शपथकर्ता

मैं शपथकर्ता को पहचानता हूँ।

Nasim Akhter (Advocate)
Enrl.No. 537/1998
Civil Court, Kishanganj

NOTARY AWADHESH KUMAR Kishanganj(Bihar) Reg.No.-6492/2022 Expiry Date-26-07-2027 GOVT. OF BIHAR

DISTRICT BAR ASSOCIATION, KISHANGANJ
क्रम सं० B/2025 02636

INDIA JUDICIAL

Government of Bihar

e-Court Fee

e-Court Fee Receipt No.	:	BRECR056C251100026470
Date & Time	:	26-Nov-2025 12:19 PM
Name of the ACC/ Registered User	:	District Co-operative Central Bank, Purnea
Location	:	Civil Court Kishanganj
Name of Applicant	:	Deponent
e-Court Fee Amount	:	100 (One Hundred Rupees Only)

NOTARY
AWADHESH KUMAR
Kishanganj(Bihar)
Reg.No.-6492/2022
Expiry Date-26-07-2027
GOVT. OF BIHAR

IN 2501888276

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at https://enibandhan.bihar.gov.in or using enibandhan Mobile App. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website/Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.